

प्रेस नोट

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल द्वारा आगामी विधानसभा निर्वाचन 2018 संपन्न कराये जाने हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार मतदान दिनांक 28 नवम्बर 2018 (बुधवार) एवं मतगणना दिनांक 11 दिसंबर 2018 (मंगलवार) को होना है। जिस हेतु माननीय आयोग द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर 2018 से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के फलस्वरूप समस्त शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है, कि वे राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/प्रतिनिधि/सदस्य द्वारा जारी किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे और न ही किसी भी पार्टी/दल के पक्ष में प्रचार/प्रसार में सम्मिलित होंगे।

सभी कार्यालय/विभाग प्रमुख इस बात का भी ध्यान रखें कि वे अपने कार्यालय में राजनैतिक दलों, नेताओं के छायाचित्र/पोस्टर बैनर/कैलेण्डर इत्यादि का उपयोग न होने दें एवं आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त कलेक्टर

एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी

जबलपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर

कलेक्टोरेट परिसर कक्ष क्रमांक-78

फोन नं. 0761-2625799

ई-मेल:-deojabalpur@gmail.com:deputydeeojb@gmail.com

पृ क्र./ /जि.निर्वा./मतदान/2018 1867

जबलपुर, दिनांक: 11 अक्टूबर 2018

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ।
2. कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर को सूचनार्थ।
3. अपर कलेक्टर (शहर/ग्रामीण) जबलपुर को सूचनार्थ।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जबलपुर को सूचनार्थ। **NCC**
5. समस्त रिटर्निंग अधिकारीजिला जबलपुर को सूचनार्थ।
6. सर्व कार्यालय प्रमुख जिला जबलपुर को सूचनार्थ।
7. उप संचालक सूचना प्रकाशन विभाग, गोलबाजार जबलपुर को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।

संयुक्त कलेक्टर

एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी

जबलपुर